


90

न्यायालय श्री मान् आयुक्त महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म०१० भोपाल
कमिश्नर



शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी तनय श्री स्व० श्यामसुन्दर त्रिपाठी निवासी
गाँव म रीहकरावा उम्र 65 वर्ष पेशा- छैती तह० नागौद जिला सतना
म०१०

R-94-I/08

बनाम

निगरानीकर्ता

शासन म०१०

शेर निगराकार

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्री मान् आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा
प्रकरण क्रमांक 60/अपील/ 2004-05
निर्णय दिनांक 24.9.2007

~~श्रीमान् आयुक्त महोदय~~
~~राजस्व मंडल ग्वालियर~~
~~1-1-2008~~

1-1-2008
Comptroller of the Court
Gwalior

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 कानून म०सन्
1959

क्रमांक 166
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 1-2-08 को प्राप्त
कॉर्ट ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्नीलिखत हैः"

मुख्य तथ्य

स्थित ग्राम रीहकरावा तह० नागौद जिला सतना आ.नं. 176 रकवा
0.261 है० एवं आ.नं. 810 रकवा 0.178 है०, जो पुस्तैनी से निगरानी
कर्ता के स्वामित्व व कब्जे दखल की भूमि है तथा कृषि भूमि है, जो आम
निस्तार की भूमि नहीं है और पुस्तैनी से निगरानी कर्ता के स्वामित्व
व आधिपत्य व कब्जे दखल से लगातार चली आ रही है ग्राम पंचायत के
अन्तर्गत कभी भी भूमि नहीं थी और ना हि कब्जे दखल में थी, क्यो
कि 25.4.91 को अपीलार्थीके पिता के नाम दारिद्र्य प्रमाण पत्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारियों आदि के नाम
<p>22.8.16</p>	<p>आवेदक अशोक रामेश्वर कुमार मिश्रा अनुपस्थित। इनके एक अखत लगवानी गई। पत्नी को उप. नही। दिनांक 1.1.2008 के आगत कर कोड उप. नही। अलायंस की के शुद्धीकरण के लिए उप. इसके उपर प्रकरण के लिए के रजिस्ट्रार अखत समाप्त किया जाया है। प्रकरण दिनांक 11/11/2016</p>	<p>अशोक रामेश्वर</p>

M ✓

AT